संख्या-605/2023/4059/22-2-2023-17(261)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-33909/प्रोबे0-5-दया0/के0का0 फतेहगढ़-2167 दिनांक 21.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सा0 पिपरौला, थाना-नवीनगर, जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ठेकेदारी के विवाद को लेकर दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, भदोही, ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 20.11.2023 तक बन्दी की आयु 44 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा 20 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 08 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद, बिहार राज्य द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने मे अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह (बन्दी संख्या-27774) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-605/2023/4059(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सुश्री गरिमा प्रसाद, मा0 अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को रिट पिटीशन (एस)(क्रि0) नं0(एस) 430/2023 संतोष कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2023, दिनांक 20.11.2023 व दिनांक 23.11.2023 के सन्दर्भ में इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उपर्युक्त वस्तुस्थिति से दिनांक 11.12.2023 को नियत सुनवाई में मा0 न्यायालय को अवगत कराने एवं प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
2- जिला पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट), औरंगाबाद, बिहार राज्य।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस)(क्रि0) नं0(एस) 430/2023 संतोष कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2023, दिनांक 20.11.2023 व दिनांक 23.11.2023 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in